भारत COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

105

समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैंप जबलपुर

निग - 1346 - I - 16

पुनरीक्षण याचिका कमांक ..../2016

पूरनलाल विश्वकर्मा
आत्मज स्व. मोतीलाल विश्वकर्मा
निवासी जालपा वार्ड, कटनी
तहसील व जिला कटनी म0प्र0 —— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा
अनुविभागीय अधिकारी/वन व्यवस्थापन अधिकारी,
कटनी जिला कटनी म0प्र0 —— अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 350/बी–121/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 01–02–2016 से व्यथित होकर ।

श्री ओ. पी. सिंह अभिभाषक द्वारा आज प्रस्तुत कराया गया 28/4/16

मान्यवर,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

रिवीजन के तथ्य

1. यहकि, आवेदक ने ग्राम ठरका स्थित भूमि खसरा नं. 5, 11, 68 एवं 70 को दिनांक 23–5–1998 को राजस्व अभिलेख देखने के बाद क्रय किया था । बैनामा निष्पादित समय नकशे में किसी प्रकार की हरी लाइन नहीं थी । वर्ष 2001 मेंवन विभाग द्वारा नक्शे में आवेदक के भूमिस्वामी हक की उक्त भूमि में बिना किसी हक अधिकार व आदेश के हरी लाइन डाली गई है । जानकारी होने पर आवेदक द्वारा वर्ष 2001 में ही नक्शे में सुधार किए जाने हेतु नायब तहसीलदार, कटनी के समक्ष आवेदन पेश किया गया । नायब तहसीलदार, कटनी ने उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए वन मंडल अधिकारी, कटनी से प्रतिवेदन चाहा गया, । उप वन मंडल अधिकारी ने दिनांक 31–10–01 को अपना प्रतिवेदन दिया जिसमें उन्होंने नक्शे हरी लाइन डालने में हुई त्रुटि सुधार किये जाना उचित बताया गया किंतु फिर भी नक्शे से हरी लाइन को विलोपित नहीं किये जाने पर आवेदक द्वारा पुनः वर्ष 2009 में अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को आवेदन पेश किया गया, जिस पर से उन्होंने प्रकरण कमांक 350/बी–121/10–11 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया । नायब तहसीलदार ने जांच कर एवं संयुक्त सीमांकन कर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर कटनी को प्रस्तुत किया । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि प्रश्नाधीन भूमि के अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2) के तहत नहीं की गई है और ना ही धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किए जाने की कोई अधिसूचना वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है । उन्होंने

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1346-एक/16 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि हस्ताक्षर
6-5-16	प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता तथा अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण कलेक्टर, कटनी द्वारा प्रकरण क्रमांक 350/बी-121/10-11 में पारित आदेश दिनांक 01-2-2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य आवेदक के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा ग्राम ठरका स्थित भूमि खसरा नं. 5, 11, 68 एवं 70 को दिनांक 23-5-1998 को राजस्व अभिलेख देखने के उपरांत क्रय किया गया था, विक्रयपत्र निष्पादित किए जाने के समय नक्शे में किसी प्रकार की हरी लाइन नहीं थी । वन विभाग द्वारा नक्शे में आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमिस्वामी हक की उक्त भूमि पर बिना किसी हक अधिकार व आदेश के हरी लाइन डाल कर अवैध रूप से अतिक्रमण किए जाने पर आवेदक द्वारा वर्ष 2001 में नक्शे में सुधार किए जाने हेतु नायब तहसीलदार, कटनी के समक्ष आवेदन पेश किया गया । जिस पर से नायब तहसीलदार ने वन मंडल अधिकारी, कटनी से प्रतिवेदन चाहा गया, जो उप वन मंडलाधिकारी द्वारा दिनांक 31-10-01 को दिया गया फिर भी नक्शे में डाली गई हरी लाइन को दुरस्त नहीं किया गया तदुपरांत आवेदक द्वारा पुनः वर्ष 2009 में अनुविभागीय अधिकारी, कटनी के न्यायालय में आवेदन पेश किया गया, जिस पर से उन्होंने दिनांक 5-3-09 को प्रकरण क्रमांक 350/बी-121/10-11 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया । नायब तहसीलदार ने विधिवत जांच कर एवं संयुक्त सीमांकन करने के उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया । नायब	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया कि प्रश्नाधीन भूमि के अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2) के तहत नहीं की गई है और ना ही धारा 29 के तहत संरक्षित वन घोषित किए जाने की कोई अधिसूचना वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है । उन्होंने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी के स्वत्व पर थी एवं राजपत्र में प्रकाशित खसरा नं. एवं मौके अनुसार नक्शे में डाली गई हरी लाइन में भिन्नता है । अपने प्रतिवेदन में उन्होंने वन विभाग के आदेश पृ0क्र0 एफ-25/83/20004/10-3 आदेश दिनांक 15-11-2006 द्वारा वन राजस्व सीमा के निर्धारण के निराकरण हेतु कलेक्टर,को बंदोवस्त अधिकारी वन की शक्तियां प्रत्योजित होने से प्रश्नाधीन खसरा नंबरों को वन की सीमा से पृथक किया जाना उचित बताते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु कलेक्टर, कटनी को प्रेषित किया कलेक्टर, कटनी ने अपने आदेश दिनांक 01-9-2014 द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कटनी/वन व्यवस्थापन अधिकारी को प्रत्यावर्तित करते हुए निर्देश दिए कि वह प्रश्नाधीन भूमि की वास्तविक स्थिति तथा विस्तृत सीमांकन करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण करें । इस आदेश के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए एवं समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रकरण कलेक्टर को दिनांक 01-6-15 को संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा सुधार किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है । दिनांक 01-6-15 की उक्त आदेश पत्रिका में जांच उपरांत यह उल्लेख किया गया कि वन विभाग द्वारा ग्राम ठरका के प्रश्नाधीन खसरा नंबर के नक्शे में डाली गई हरी लाइन को संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण में राजपत्र में दिए गए नंबर क्षेत्रफल से हटकर होना पाए जाने से सुधार किया जाना आवश्यक है । कलेक्टर ने 01-2-2016	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	को पुनः प्रकरण दिनांक 1-2-16 के आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि प्रकरण में संहिता की धारा 107 लागू नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी पूर्व में दिनांक 01-9-14 में दिए गए निर्देशानुसार प्रकरण का निराकरण करें । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी हक की भूमि है उक्त भूमि वर्ष 1954-55 में भी भूमिस्वामी हक में दर्ज थी । इसके बाद वन विभाग द्वारा 1957-58 में आरक्षित वन की प्रस्तावित अधिसूचना जारी की गई जिसकी डी.आर.सी. पंजी में प्रश्नाधीन इस प्राईवेट भूमि को हस्तांतरित किया जाना लेख नहीं है तथा डी.आर.सी. पंजी में पृ.क्र. 16 में ठरका के कॉलम नं. 15 में प्राईवेट भूमि का हस्तांतरण निरंक लिखा गया है । खसरा नं. 192/1 ख का रकबा 28.982 हैक्टर है, जो कि राजपत्र एवं डी.आर.सी. पंजी में उल्लिखित रकबे से मेल खाता है जबकि खसरा नं. 192/1 क का रकबा 32.70 है जो कि राजपत्र एवं डी. आर.सी. पंजी में वर्णित रकबे से मेल नहीं खाता है, इससे स्पष्ट है कि पुराने नं. 192/1 ख को ही अधिसूचित किया गया है । यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नं. 5, 11, 68, 70 वन विभाग की भूमि पुराने खसरा नं. 192/1ख, 192/2 एवं 192/4 से निर्मित नहीं है । तथा उक्त खसरों का रकबा भी वन विभाग से मेल नहीं खाता है । अतः नक्शे में जो हरी लाइन डाली गई है वह गलत है । यह तर्क दिया गया कि कि प्रश्नाधीन खसरा नं. संरक्षित वन अधिसूचित नहीं है ना ही वन अधिनियम, 1927 की धारा 11 (2) के तहत अर्जन की कार्यवाही नहीं की गई है । अतः आवेदक की भूमियों पर हरी लाइन डालकर एवं मुनारे गाढ़कर त्रुटि की गई है । यह भी तर्क दिया गया है कि प्रकरण में पूर्व में ही राजस्व विभाग एवं वन	

प्र0 क्र0 निगरानी 1346-एक/16 (पूरनलाल विश्वकर्मा विरूद्व शासन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

विभाग द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं जिनके अनुसार आवेदक के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमियों वन विभाग की नहीं होना पाई गई हैं एवं अभिलेख में भूलवश हरी लाइन डाले जाने का उल्लेख किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि उप वन मंडल अधिकारी द्वारा वन मंडल अधिकारी, कटनी को पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 31-10-2001 द्वारा वन सीमा लाइन में सुधार किए जाने बावत लिखा गया है जिसमें लेख किया है कि सर्वे डिमारकेशन कम्पलीशन रिर्पोट वर्ष 1966-67 वन व्यवस्थापन वर्ष 1973 एवं म0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 20 जून 1986 के आधार पर 28.82 एकड़ भूमि आरक्षित वन घोषित की गई है जबकि नक्शे के आधार पर वन सीमा लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र 45.53 एकड़ परीक्षण में पाया गया । पत्र में उन्होंने उक्त त्रुटि को सुधार किया जाना उचित बताया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि यह प्रकरण नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरीके से डाली गई हरी लाइन को सुधारने के संबंध में है । संहिता की धारा 107 के अनुसार नक्शा सुधार के अधिकार कलेक्टर को हैं । अत : अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नक्शा सुधार किए जाने हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित करने में कोई त्रुटि नहीं की थी । परंतु जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर प्रकरण को संहिता की धारा 107 का न मानते हुए पुनः अनुविभागीय अधिकारी को अपने 1-9-14 में दिए गए निर्देश के अनुसार प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश देने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रकरण में सम्पूर्ण जांच की जा चुकी है और आवश्यक जांच रिर्पोट/प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से नक्शे में डाली गई हरी लाइन को विलोपित करने एवं वन विभाग द्वारा बनाए गए मुनारे हटाने के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है एवं प्रकरण को बिना किसी कारण के लंबित रखा जा रहा है जिससे आवेदक अपने भूमिस्वामित्व की प्रश्नाधीन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1346–एक/16 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि कृषि करने से वंचित हो रहा है, जो न्यायोचित नहीं है । उक्त आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा संहिता की धारा 8 का उपयोग कर अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण से संबंधित आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं, अतः अभिलेख बुलाने की आवश्यकता नहीं है और आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि है, जिसके नक्शे में वन विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके हरी लाइन डालकर मुनारे स्थापित किए गए हैं । आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में नायब तहसीलदार का प्रतिवेदन दिनांक 28-3-11 एवं अधीक्षक, भू-अभिलेख की रिर्पोट दिनांक 10-9-11 भी संलग्न हैं जो उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किए हैं । नायब तहसीलदार ने जांच उपरांत प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रश्नाधीन खसरे नंबरों को वन सीमा में शामिल करने हेतु अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है और ना ही प्रश्नाधीन भूमि के अर्जन की कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 11(2) के तहत की गई है । प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी के स्वत्व पर थी एवं राजपत्र में प्रकाशित खसरा नंबर एवं मौके अनुसार नक्शे में	

प्र0 क्र0 निगरानी 1346-एक/16 (पूरनलाल विश्वकर्मा विरूद्व शासन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	डाली गई हरी लाइन में भिन्नता है । नायब तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग के संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी के स्वत्व पर थी एवं राजपत्र में प्रकाशित खसरा नं. एवं मौके अनुसार नक्शे में डाली गई हरी लाइन में भिन्नता है । इसी प्रकार अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत अपनी रिर्पोट में जांच उपरांत यह निष्कर्ष दिया गया है कि खसरा नं. 192/1क के स्थान पर 192/1 ख होना चाहिए था, उसी प्रकार प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 5, 11, 68 एवं 70 के रकबे की वैधानिक अधिसूचना के अभाव के बावजूद भी आवेदक के भू-स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि को वन सीमा में शामिल करना विधिसम्मत नहीं है । इसी प्रकार दिनांक 15-12-2010 की जो रिर्पोट वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण करने के पश्चात प्रस्तुत की गई थी उक्त रिर्पोट में अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा लेख किए गए निष्कर्ष सिद्व पाए गए हैं । आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन के साथ कार्यालय उप वन मंडल (सामान्य) कटनी (पूर्व) के पत्र दिनांक 31-10-2001 जो उन्होंने वन मण्डलाधिकारी, कटनी को प्रेषित किया है, की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई है जिसमें यह पाया गया कि वन विभाग द्वारा 8.87 हैक्टर भूमि पर अवैध कब्जा घोषित हो गया है, जो नहीं होना था । पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिसूचना दिकनांक 20-6-86 के आधार पर 28.82 एकड़ भूमि वन विभाग की घोषित की गई है जबकि नक्शे के आधार पर वन सीमा लाइन से घिरा हुए क्षेत्रफल 45.53 एकड़ परीक्षण मे पाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है 16.71 एकड़ भूमि वन सीमा लाइन में अधिक दर्शायी गई है । पत्र में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को दिया जाना उचित बताते हुए मुनारे सुधारना आवश्यक बताया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में जो प्रतिवेदन दिनांक 1-6-15 को संहिता की धारा 107 के तहत नक्शा सुधार हेतु कलेक्टर को प्रेषित किया गया है उसमें भी जांच उपरांत यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन सर्वे नं0 आवेदक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1346-एक/16 जिला - कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के भूमिस्वामित्व के हैं जिन पर वन विभाग द्वारा हरी लाइन डाल दी गई है जो गलत प्रतीत होता है । उपरोक्त रिर्पोटों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वन विभाग द्वारा आवेदक के भूमिस्वामित्व की भूमि पर नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरीके से हरी लाइन डाली गई है तथा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर मुनारे स्थापित किये गये हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है । चूंकि वन विभाग द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि जो भूमिस्वामी स्वत्व की है, उस पर हरी लाइन त्रुटिवश डाली गई है ऐसी स्थिति में नक्शे में डाली गई हरी लाइन को को विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । प्रकरण में जो तथ्य आए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए यह भी पाया जाता है कि यह प्रकरण नक्शे में त्रुटि से संबंधित है जिसे दुरस्त करने का अधिकार जिलाध्यक्ष को है, किंतु जिलाध्यक्ष द्वारा नक्शे में की गई का उक्त त्रुटि का सुधार न करते हुए प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी को भेजना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात कलेक्टर, कटनी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 1-2-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, कटनी को आदेशित किया जाता है कि आवेदक के भूमिस्वामित्व की ग्राम ठरका स्थित भूमि खसरा नं. 5, 11, 68 एवं 70 के नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरीके से डाली गई हरी लाइन को विलोपित किया जाये तथा नक्शा पूर्ववत दुरस्त करते हुए राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें । सदस्य	